फर्द अहकाम

उम्मेद सिंह बनाम पन्नालाल व अन्य

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण

केस संख्या 47/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील उभय पक्षों की बहस कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील उभय पक्षों को समझाईश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील उभय पक्षों ने प्राकृतिक कुर्रेजात रिपोर्ट तकासमा हेतु सहमति दी। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज०. काश्तकारी अधि० को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राकृतिक कुर्रेजात के तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कार्य हो तथा बाद प्रति शामिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
47 / 2016	02 / 06 / 2016	29 / 08 / 2024

1. उम्मेद सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति राजपुत निवासी बाढ रसूलपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. जगमाल सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. जीया कँवर पत्नि रघुवीर सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. धर्मराज सिह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपुत नाबालिक सरंक्षिका माता जीया कंवर निवासी ग्राम बाढ रसुलपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
6. शकुन्तला पत्नि जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
7. शारदा पत्नि जगमाल सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बाढ रसूलपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. उप पंजियक अधिकारी, जमवारामगढ, उप पंजीयक कार्यालय व तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
9. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादी।
श्री राजेश कुमार पारीक :– वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 2

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बाढ रसूलपुरा, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 26 रकबा 12.29है0, खसरा नं0 66 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 67 रकबा 3.71है0, कुल किता 3 कुल रकबा 16.01है0 तथा दुसरा खाता खसरा नम्बर 97 रकबा 1.49है0 भूमियां है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकारांगा डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 01.06.2016 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उप0 वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बाढ रसूलपुरा, पटवार हल्का लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराज़ी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	उम्मेदसिंह पुत्र घीसासिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन हि01/4 पूर्ण खाता यूनियन बैक आफ इण्डिया शाखा चांदराणा, जगमालसिंह पुत्र घीसासिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन हि01/4 पूर्ण खाता स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा बस्सी, जीयाकंवर पत्नी रघुवीरसिंह हि0 1/12 जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/12 पूर्ण खाता एचडीएफसी बैक लिमि0 शाखा दौसा, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह हि0 1/12 जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/12 पूर्ण खाता एचडीएफसी बैक लिमि0 शाखा दौसा, नाबालिग धर्मराज पुत्र रघुवीर सिंह संरक्षक माता जीया कंवर हिस्सा 1/12 जाति राजपूत सा0देह खातेदार, राजेन्द्रसिह पुत्र घीसासिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 पूर्ण खाता स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा बस्सी।	26 66 67	12.2900 0.0100 3.7100	बारानी 3 गै.मु.चाह चाही 1	—
	योग	किता 3	16.0100	—	—
2	उम्मेदसिंह पुत्र घीसासिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0देह खातेदार, जगमालसिंह पुत्र घीसासिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0देह खातेदार, राजेन्द्रसिह पुत्र घीसासिंह पुत्र हि0 1/4 जाति राजपूत सा0देह खातेदार, शकुन्तलादेवी पत्नि जगमालसिंह हि0 1/8 जाति राजपूत सा0देह खातेदार, शारदा देवी पत्नि राजेन्द्रसिंह हि0 1/8 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	97	1.4900	चाही 1	
	योग	किता 1	1.4900	—	—

—: प्रस्तावित :—

क्र0सं0 संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	उम्मेद सिह पुत्र घीसा सिंह जाति राजपूत सा0देह खातेदार	97/1	0.3650	चाही 1	—
	योग	किता 1	0.3650	—	—
2	जगमाल सिंह पुत्र घीसा सिंह हि0 2/3, शकुन्तला पत्नि जगमाल सिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	97/2	0.5475	चाही 1	—
	योग	किता 1	0.5475	—	—
3	राजेन्द्र सिंह पुत्र घीसा सिंह हि0 1/3, शारदा पत्नि राजेन्द्र सिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	97/3	0.5475	चाही 1	—
	योग	किता 1	0.5475	—	—

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

प्रस्तावित

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
उम्मेद सिह पुत्र घीसा सिंह जाति राजपूत राहिन यूनियन बैक आफ इण्डिया शाखा चांदराणा सा0देह खातेदार	26/4 67/1	3.0575 0.7850	बारानी 3 चाही 1	—
योग	किता 2	3.8425	—	—
जगमाल सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा बस्सी	26/3 26/5 67/2	0.26 2.7975 0.7850	बारानी 3 बारानी 3 चाही 1	—
योग	किता 3	3.8425	—	—
राजेन्द्र सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति राजपूत सा0देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा बस्सी	26/1 26/7 67/4	0.26 2.7975 0.7850	बारानी 3 बारानी 3 चाही 1	—
योग	किता 3	3.8425	—	—
जीया कंवर पत्नि रघुवीर सिंह हि0 1/3, धमेन्द्र सिंह पुत्र रघूवीर सिंह हि0 1/3, धर्मराज पुत्र रघुवीर सिंह हि0 1/3 राहिन एचडीएफसी बैक शाखा दौसा जाति राजपूत सा0देह खातेदार	26/2 26/6 67/3	0.26 2.7975 0.7850	बारानी 3 बारानी 3 चाही 1	—
योग	किता 3	3.8425	—	—
शामलाती हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार	66 67/5 26/8 97/4 97/5	0.0100 0.5700 0.0600 0.0200 0.0100	गै.मु.चाह चाही 1 बारानी3 चाही 1 गै.मु.चांह	—
योग	किता 5	0.6700	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ